R- 1139-I/17

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017–18 पुनरीक्षण

1. हेमन्त तनय श्री तुलसी बुनकर
2. आशाराम तनय परमू बुनकर निवासी– अचर्रा, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़,

—आवेदकगण / पुनरीक्षणकर्तागण

श्री रविन्द्र कुमार द्वारा आज दि. 12-4-17 को प्रस्तुत

12-4-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. मुन्नालाल पुत्र श्री मूलचन्द गुप्ता निवासी– अचर्रा, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़,
2. म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार महोदय मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

—अनावेदकगण / प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकी 04/04/2017 जिसके द्वारा अपील प्रकरण कमांक 220/अपील/16–17 में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 52 भू–राजस्व संहिता को श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा निरस्त किया गया, से प्रतिवेदित होकर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदकगण / पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से पुनरीक्षण आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदकगण ग्राम अचर्रा तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़, ... के स्थायी निवासी होकर कृषि कार्य कर अपना व अपने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1139–एक / 17 जिला–टीकमगढ

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–04–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अनूप गुप्त उपस्थित होकर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण में एस0डी0एम0 जतारा द्वारा गिरफ्दारी वारंट जारी किया गया है अगर आवेदक को स्थगन नहीं दिया गया तो उसको जेल जाना पडेगा जिससे प्रस्तुत की गई निगरानी निष्प्रभावी हो जावेगी। 2– प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के न्यायालय में स्थगन की मांग आवेदक द्वारा की गई जो उनके द्वारा स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है, उसी आवेदन के विरूद्व इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के न्यायालय में प्रकरण अन्तिम बहस हेतु पेशी दिनांक 18.4.17 नियत की गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर है। अतः अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ का प्रकरण कमांक 220 / अपील / 2016–17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 4.4.17 उचित होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। सदस्य	